अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

1. मनोज कुमार वर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू
2. राजीव वर्मा पुत्र रमेश चन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. रामसरा प्रजाति समाज समिति रामसरा तहसील व जिला चूरू जरिए अध्यक्ष
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज)

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 99 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र डुडी एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदई व अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र जाखड़ एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 174 तादादी 0. 3667 हैक्टेयर खसरा नमबर 175 तादादी 0.4047, खसरा नम्बर 32 तादादी 0.1644 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 0.9358 हैक्टेयर वाके रोही मौजा रामसरा तहसील व जिला चूरू वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य निम्नानुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	भूमि किस्म
1.	राजीव वर्मा पुत्र रमेश चन्द्र हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामसरा	32 मी. 174 मी.	0.0411है. 0.1929है.	बारानी बारानी
2.	मनोज कुमार वर्मा पुत्र रमेश चन्द्र हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामसरा	32 मी. 174 मी. 175 मी	0.0411 है. 0.1738 है 0.0190 है.	बारानी बारानी बारानी
3.	रामसरा प्रजापति समाज समिति रामसरा हिस्सा –पूर्ण निवासी रामसरा थड़ा	32 मी. 175 मी	0.3857 है. 0.0822है.	बारानी बारानी
		कुल किता 03	0.9358है.	बारानी

तहसीलदार चूरू को निर्देशित किया जाता है कि अगर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो बाद जांच निर्णय व डिक्री व संलग्न नक्शा के अनुसार राजस्व अभिलेख में वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान पृथक पृथक [illegible]

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर [illegible] 03 माह मार्च सन् 2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:57 IST
Reason: SelfAttested

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू